भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3757
जिसका उत्तर मंगलवार, 16 दिसम्बर, 2014 को दिया जाना है

**कारों में संरक्षा मानक**

**3757. श्री बी. श्रीरामुलु:**

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में यात्री कारों के लिए कोई संरक्षा मानक निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी कार कंपनियों के नाम क्या हैं जो अपने विनिर्मित कारों में इन मानकों का अनुपालन कर रही हैं तथा ऐसी कंपनियों के नाम क्या हैं जो चूक कर रही हैं;

(घ) क्या त्रुटिपूर्ण कार की डिजाइन के कारण कार दुर्घटना में मृत्यु मामले की समीक्षा के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**
**भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री**
**(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)**

**(क) और (ख):** जी, हां। केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (सीएमवीआर) के नियम 126 के तहत यह प्रावधान है कि ट्रेलर्स और सेमी-ट्रेलर्स के अलावा मोटर वाहनों के प्रत्येक विनिर्माता के लिए केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रावधानों के अनुपालन हेतु प्रमाण-पत्र देने के लिए अपने द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले वाहन का प्रोटोटाइप इसमें विनिर्दिष्ट किसी एजेन्सी के पास परीक्षण हेतु भेजना आवश्यक है। केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126ए के अनुसार नियम 126 में उल्लिखित परीक्षण एजेन्सियों के लिए विनिर्माता की उत्पादन श्रृंखला से लाए गए वाहनों का परीक्षण करना भी आवश्यक है जिससे कि यह सत्यापन किया जा सके कि ये वाहन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 110 के तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुरूप हैं। केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम तथा केन्द्रीय मोटर वाहन नियम के प्रावधानों का प्रवर्तन राज्य सरकारों/संघ-राज्य क्षेत्रों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है।

इसके अलावा, भारत यात्री कारों के लिए सुरक्षा मानकों के राष्ट्रीय विनियमनों को यूएन-ईसीई विनियमनों के अनुरूप बनाने के लिए कदम उठा रहा है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों में सुरक्षा उपकरण लगाने के लिए 'भारत न्यू व्हीकल सेफ्टी एसेसमेन्ट प्रोग्राम' के तहत एक समर्पित पैनल तैयार किया है जो अक्टूबर, 2017 से स्वैच्छिक तथा अक्टूबर, 2020 से अनिवार्य होगा।

**(ग):** सभी कार कंपनियां अपनी विनिर्मित कारों में इन मानकों का अनुपालन कर रही हैं।

**(घ) और (ङ):** त्रुटिपूर्ण कार की डिजाइन के कारण कार दुर्घटना में मृत्यु के मामलों का मूल्यांकन करने हेतु ऐसा कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है।

*******